**भारत सरकार**

**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 24**

**05.12.2013 को उत्तर के लिए**

**'हिमाचल प्रदेश में माथरेड नदी पर एक पक्के पुल के निर्माण की मांग'**

**24. श्री के. सी. त्यागी :**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्रीयहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के अंतर्गत चिरगांव तहसील में नांदला तथा अन्य गांवों को जोडऩेवाली 'माथरेड' नदी के ऊपर लकडी़ का पुल निर्मित किया गया है;

(ख) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में चिरगांव तहसील में नांदला गांव तथा अन्य गांवों को जोडऩे के लिए 'माथरेड' नदी के ऊपर पक्का पुल निर्मित करने हेतु इस गांव की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करेगी क्योंकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह मामला हिमाचल प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पास लंबित है; और

(ग) क्या सरकार आम आदमी के कल्याणार्थ प्राथमिकता के आधार पर इस मामले को शीघ्र निपटाने हेतु राज्य सरकार से कहेगी?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन )**

(क) जी, हां । हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के अंतर्गत चिरगांव तहसील में नांदला तथा अन्य गांवों को जोडऩेवाली 'माथरेड' नदी के ऊपर लकडी़ का पुल निर्मित किया गया है ।

(ख) श्री रोशन लाल का दिनांक 25.05.2012 का एक आवेदन माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय के दिनांक 11.06.2012 के पत्र के माध्‍यम से प्राप्‍त हुआ था जो कि मुख्‍य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार को संबोधित था परंतु वास्‍तविकता यह है कि वन विभाग पक्‍के आरसीसी पुल/स्‍टील फुट ब्रिज का निर्माण नहीं करता है।

(ग) चूंकि यह परियोजना राज्‍य सरकार के कार्यक्षेत्र के अंदर आती है, अत: इस परियोजना पर निर्णय राज्‍य सरकार द्वारा लिया जाना है।

\*\*\*\*\*